



तटस्थ उद्धरण

2018:सीजीएचसी:13445

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4209/2015

1. ललन सिंह, आत्मज स्वर्गीय श्री श्रीराम सिंह, आयु लगभग 58 वर्ष, व्यवसाय-उप निरीक्षक, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सुरक्षा में पदस्थ, थाना चकरभाटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
2. सी. पी. कंवर, आत्मज श्री बी. एल. कंवर, आयु लगभग 34 वर्ष, व्यवसाय-उप निरीक्षक, पुलिस थाना-चकरभाटा में पदस्थ,, थाना चकरभाटा, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
3. बी. एस. निषाद, आत्मज स्वर्गीय श्री डी. एस. निषाद, आयु लगभग 59 वर्ष, व्यवसाय-निरीक्षक, पुलिस लाइन में पदस्थ,, थाना सिविल लाइन, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह पुलिस और वित्त विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।
3. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
4. पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।

..... उत्तरवादीगण



**रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6798/2017**

श्याम सुंदर पटेल, आत्मज स्वर्गीय अभय चरण पटेल, आयु लगभग 58 वर्ष, यातायात प्रभारी, थाना कोरबा, जिला कोरबा (छत्तीसगढ़) में पदस्थ।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह पुलिस और वित्त विभाग, महानदी भवन, नया मंत्रालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)।
3. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग रेंज, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
4. पुलिस अधीक्षक, राजनंदगांव, जिला राजनंदगांव (छत्तीसगढ़)।

..... उत्तरवादीगण

- रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4209/2015 7 में याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री प्रकाश तिवारी, अधिवक्ता।
- रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6798/2017 में याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री विनीत कुमार पांडे, अधिवक्ता।
- राज्य के लिए : श्री शशांक ठाकुर अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी

पीठ पर आदेश

19/06/2018

1. चूँकि वर्तमान दो रिट याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा एक समान है और दोनों याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क और मांगी गई अनुतोष



भी समान और समरूप होने के कारण, यह न्यायालय इन दोनों रिट याचिकाओं पर इस एक ही निर्णय द्वारा निराकृत करने के लिए आगे बढ़ता है।

2. इन मामलों में निर्णीत किए जाने वाले विधि का प्रश्न यह है कि क्या पुलिस महानिरीक्षक (इसके बाद “आई. जी. पी.” के रूप में संदर्भित) पुलिस अधीक्षक (इसके बाद “एस.पी.” के रूप में संदर्भित) के अधीनस्थ पुलिस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए आरोप पत्र जारी करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं।
3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि दो रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता क्रमशः उप निरीक्षक और निरीक्षक के पद पर काम कर रहे हैं। जहां तक रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 4209/2015. का संबंध है, याचिकाकर्ताओं को कुछ कथित कदाचार के कारण तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक द्वारा कुछ कथित कदाचार के कारण दिनांक 16.9.2015, को आरोप पत्र अनुलग्नक-पी/1 जारी किया गया था और उसी आई. जी. पी. ने फिर से अनुलग्नक-पी/2 दिनांक 28.10.2015 के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), बिलासपुर को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया और साथ ही साथ निरीक्षक/एस. एच. ओ., कोटा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। इसी तरह, रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 6798/2017 के संबंध में, याचिकाकर्ता को आई. पी. जी. द्वारा दिनांक 23.02.2017 के अनुलग्नक-पी/1 के माध्यम से कथित कदाचार के लिए आरोप पत्र जारी किया गया है और एक जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को फिर से दिनांक 16.8.2017 के अनुलग्नक-पी/2 के माध्यम से नियुक्त किया गया है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सिर्फ यही तर्क किया कि याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमों द्वारा शासित होती हैं। उक्त विनियम के विनियम 228 में बहुत जोर देकर कहा गया है कि एस. पी. के पद के अधीनस्थ अधिकारियों के खिलाफ केवल एस. पी. द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाएगा, न कि



किसी अन्य अधिकारी द्वारा। उन्होंने यह भी तर्क किया कि वर्तमान मामले में चूंकि आई. जी. पी. द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है, इसलिए यह कायम रखें जाने योग्य नहीं है और पुलिस विनियमों का उल्लंघन है और इस प्रकार इसे अपास्त करने के लिए प्रार्थना किया ।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने **अरुण प्रकाश यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 2013 लॉसूट (एमपी) 2242** के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक युगल पीठ के निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें युगल पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने/आरोप पत्र जारी करने के लिए एक प्राधिकारी की क्षमता तय करने के उद्देश्य से, एम. पी. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के अपवर्जन पर पुलिस विनियम लागू होंगे। उक्त युगल पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि पुलिस विनियमों के विनियम 228 के अनुसार पुलिस निरीक्षक के खिलाफ वृहद शास्ति के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही/आरोप पत्र जारी करने के लिए सिर्फ पुलिस अधीक्षक सक्षम प्राधिकारी हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **योगेंद्र सिंह यादव बनाम एमपी राज्य एवं अन्य, 2015 (2) एमपीएचटी 406** के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय का अवलंब लिया हैं, जिसमें **अरुण प्रकाश यादव (पूर्वोक्त)** में युगल पीठ के निर्णय को फिर से दोहराया गया है।
6. हालाँकि, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने पुलिस विनियम 223 को संदर्भित याचिकाओं का विरोध किया, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि आई. जी. पी. को अपने अधीनस्थ अधिकारी को दंडित करने का अधिकार दिया गया है और इस प्रक्रिया में यदि आई. जी. पी. ने स्वयं आरोप पत्र जारी किया है, तो इसे विधि की दृष्टि से खराब या विनियमों के विपरीत नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार उन्होंने रिट याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया।



7. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख के अवलोकन पर, स्वीकार किया जाता है कि इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता दो रिट याचिकाओं में पुलिस विभाग में निरीक्षकों/उप निरीक्षकों के रूप में काम कर रहे हैं। जिले में दोनों एस.पी. रैंक के अधिकारी के अधीनस्थ हैं। यह भी विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तें छत्तीसगढ़ पुलिस विनियमों द्वारा शासित होती हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विनियम के विनियम 228 के मध्य प्रदेश पुलिस विनियमों के प्रावधानों के समान होने के कारण भी कोई विवाद नहीं है, जिसे तैयार संदर्भ के लिए यहाँ प्रस्तुत किया गया है :-

“228. विभागीय जाँच - कब और कैसे किया जाएगा - सेवा समाप्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, पद, श्रेणी या वेतन में कमी या एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वेतन वृद्धि को रोकने के प्रत्येक मामले में अधीक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक औपचारिक कार्यवाही दर्ज की जानी चाहिए।”

8. अब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के **अरुण प्रकाश यादव (पूर्वोक्त)** के मामले में दिए गए युगल पीठ के निर्णय का संदर्भ लेना सुसंगत होगा, जिसके सुसंगत कंडिका यहाँ तत्काल संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं :-

19. विनियमन 228 के सरसरी अवलोकन इंगित करता है कि अकेले अधीक्षक को वृहद शास्ति या शास्ति के संबंध में आरोप पत्र तैयार करने और जारी करने के अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया है जो वृहद शास्ति का प्रभाव डालते हैं। अधीक्षक शब्द का अर्थ है पुलिस अधीक्षक, जो विनियमन 32 से स्पष्ट है जो एस. पी. को अपने जिले के पुलिस बल के प्रमुख के रूप में वर्णित करता है। पुलिस विनियम 228 को छोड़कर किसी भी अन्य प्रावधान में आरोप पत्र जारी करने के लिए किसी भी प्राधिकारी की क्षमता निर्धारित नहीं करते हैं, जो केवल एस.पी. को सशक्त बनाता है। आरोप पत्र जारी करने की यह शक्ति एस.पी. के अधीनस्थ रैंक रखने वाले सभी



व्यक्तियों के संबंध में एस.पी. को दी गई है। आवश्यक निहितार्थ से, विनियमन 228 के प्रावधानों में एस.पी. के अधीनस्थ रैंक वाले किसी भी पुलिस कर्मी को आरोप पत्र जारी करने के लिए एस.पी. से वरिष्ठ या निम्न स्तर के सभी अधिकारियों को बाहर रखा गया है। इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि एक पुलिस निरीक्षक के लिए, जो रैंक में एस. पी. के अधीनस्थ है, पुलिस विनियमों के तहत आरोप पत्र जारी करने का एकमात्र सक्षम प्राधिकारी एस. पी. है, जो विशेष रूप से पूर्वोक्त क्षेत्र को नियंत्रित करता है।

20. उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि एस. पी. के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी को पुलिस विनियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने/पुलिस निरीक्षक को आरोप पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है।

21. अब यह देखा जाना चाहिए कि उपरोक्त निष्कर्षों की पृष्ठभूमि में कि केवल एस. पी. एक निरीक्षक को आरोप पत्र जारी करने में सक्षम है, क्या डी. आई. जी./आई. जी. या उस मामले के लिए एस. पी. से बेहतर रैंक का कोई अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर सकता है/पुलिस निरीक्षक को आरोप पत्र जारी कर सकता है।

35. इस प्रकार, यह पीठ इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित तरीके से देती है:-

- (i) एक पुलिस निरीक्षक अपने खिलाफ वृहद जुर्माना/आरोप पत्र जारी करने के लिए अधिकार की क्षमता का दावा करते हुए 2000 के राजपत्रित नियमों के तहत गठित राजपत्रित संवर्ग में केवल राजपत्रित घोषित होने और रु.6500-10,500/- के वेतनमान में उन्नत होने के कारण शामिल नहीं हो सकता है, जब तक कि 2000 के राजपत्रित नियमों में उपयुक्त संशोधन नहीं किया जाता है।



(ii) पुलिस निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने/आरोप पत्र जारी करने के लिए एक प्राधिकारी की क्षमता तय करने के उद्देश्य से, अकेले एम. पी. पुलिस विनियम एम. पी. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के अपवर्जन पर लागू होंगे।

(iii) पुलिस विनियमों के विनियम 228 के अनुसार, अकेले पुलिस अधीक्षक एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने/वृहद शास्ति के लिए आरोप पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है; और

9. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ के उक्त विचार को उसी उच्च न्यायालय की एक अन्य युगल पीठ ने **मनोज वर्मा बनाम एम. पी. राज्य, 2014 (3) जे. एल. जे. 150** के मामले में दोहराया, जिसमें अनुच्छेद 13 में निर्णय का समापन करते हुए युगल पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“13. इस प्रकार रिट न्यायालय के आदेश पर विचार करने के बाद यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष जिन आधारों पर विचार किया गया है, उन्हें रिट न्यायालय द्वारा पहले ही ध्यान में रखा गया था और विचार करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा गया था। अपीलार्थी के मामले पर विचार करते समय, मध्य प्रदेश पुलिस विनियमों के विनियम 233 और 228 के तहत विचार किए गए प्रावधानों पर विद्वान रिट न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से विचार किया गया है और इसके बाद ही यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थी का मामला एम. पी. पुलिस विनियमों के तहत नियंत्रित होता है, जिसके तहत सिर्फ पुलिस अधीक्षक एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने/वृहद शास्ति के लिए आरोप पत्र जारी करने के लिए सक्षम



प्राधिकारी है। इस प्रकार, संपूर्ण मामले को सुसंगत नियमों के साथ विचार में लेने के पश्चात, यह न्यायालय भी इस बात से सहमत है कि अपीलकर्ता का मामला **अरुण प्रकाश यादव (पूर्वोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा पूरी तरह से लागू किया गया है और यह विचारित दृष्टिकोण रखता है कि विद्वान रिट न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष पूरी तरह से वैध हैं और उनमें कोई दोष या विकृति नहीं है। दूसरे शब्दों में, रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।

10. इसी दृष्टिकोण पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने **योगेंद्र सिंह यादव (पूर्वोक्त)** के मामले का अवलंब लिया है, जहां कंडिका 9 और 10 में निम्नानुसार अवधारित किया है :

“9. उत्तरदाताओं के अधिवक्ता ने बाद की अधिसूचना दिनांक 12-7-2013 का उल्लेख किया है जिसमें विनियमन 223 को प्रतिस्थापित किया गया है और निम्नलिखित विनियमन 223 को शामिल किया गया है:-

“223. क्षेत्रीय महानिरीक्षक की शक्तियाँ पुलिस या पुलिस महानिरीक्षक के पद के समकक्ष कोई भी पुलिस अधिकारी -

क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक के पद के समकक्ष कोई भी पुलिस अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा:-

(क) निरीक्षक पद तक के किसी भी अधिकारी को उनके आचरण की जांच होने तक निलंबित करने की शक्ति।

(ख) हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबलों को विनियम 216 और 217 में निर्दिष्ट किसी भी शास्ति को लागू करने की शक्ति।



(ग) विनियम 214 और 215 में निर्दिष्ट शास्ति में से कोई भी शास्ति कांस्टेबल से लेकर निरीक्षक तक सभी रैंकों पर अधिरोपित करने की शक्ति।”

उपरोक्त विनियमों के तहत, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक के पद के समकक्ष किसी भी पुलिस प्राधिकारी को विनियम 214 और 215 में कोई भी शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन चूंकि विनियम 228 में कोई संशोधन नहीं किया गया है, इसलिए **अरुण प्रकाश यादव (पूर्वोक्त)** के मामले में युगल पीठ के फैसले के संदर्भ में आरोप पत्र जारी करने की स्थिति उक्त संशोधन के बाद भी नहीं बदलेगी।

10. इस प्रकार, मेरा मत है कि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी आरोप पत्र दिनांक 20-12-13, **अरुण प्रकाश यादव (सुप्रा)** के मामले में खंडपीठ के निर्णय के मद्देनजर कायम नहीं रखा जा सकता है, तथा सक्षम प्राधिकारी को नया आरोप पत्र जारी करने की स्वतंत्रता देते हुए इसे निरस्त किया जाता है।

11. इस विषय पर तीन आधिकारिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जो छत्तीसगढ़ राज्य में समान विषय वस्तु है, इस न्यायालय को यह निर्णय देने में कोई संकोच नहीं है कि आई. जी. पी. द्वारा जारी किया गया आरोप पत्र क्षमता के बिना है और उनके अधिकार से परे है और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा बनाए गए पुलिस विनियमों के विपरीत है।

12. उपरोक्त कारणों से, आरोप पत्र जैसा कि यह है, विधि की नजर में टिकाऊ नहीं है और अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार अपास्त किया जाता है, प्रत्यर्थियों के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, यदि वे ऐसा महसूस करते हैं, तो पुलिस विनियमों के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करने के लिए।



13. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोप-पत्र को अपास्त किए जाने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों के हकदार होंगे।
14. दोनों रिट याचिकाओं स्वीकार किया जाता है और तदनुसार उनका निराकरण किया जाता है।

सही/-
(पी. सैम कोशी)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

